-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना गिरवां पुलिस द्वारा मकान का ताला तोड़कर रुपए व आभूषण चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के आभूषण, नकद रुपए बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में दिनांक 27.04.2026 को देर शाम थाना गिरवां पुलिस द्वारा मकान का ताला तोड़कर आभूषण व नकद रुपए चोरी करने वाले दो अभियुक्तो को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना गिरवां क्षेत्र के मुरवा के रहने वाले देवीदीन पुत्र बहादुर द्वारा दिनांक 21.04.2026 को थाना गिरवां पर सूचना दी गई कि रात्रि में घर का ताला तोड़कर आभूषण व नकद रुपए चोरी हो जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गई थी। सूचना पर थाना गिरवां में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना गिरवां पुलिस द्वारा दिनांक 27.04.2026 को देर शाम मुखबिर की सूचना पर सदल पुरवा तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के आभूषण व नकद रुपए बरामद हुए है।

बरामदगी-

- 25 हजार रुपए नकद (चोरी के)
- 02 बच्चों की माला पीली धातु
- 03 कड़ा सफेद धातु
- 02 नाग नागिन सफेद धातु
- 01 नाक की नथूनी
- 02 ताबीज सफेद धातु
- 04 चुड़े बच्चों के सफेद धातु
- 12 पैर का मीना सफेद धातु
- 04 हाथ के चुड़े सफेद धातु
- 02 जोड़ी पायल सफेद धातु
- 02 सिक्का सफेद धातु
- 02 रोल्ड गोल्ड अंगूठी पीली धातु
- 01 छल्ला

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अजय पुत्र पहलवान विश्वकर्मा निवासी मुरवां थाना गिरवां जनपद बांदा।
2. शंकर पुत्र पहलवान विश्वकर्मा निवासी मुरवां थाना गिरवां जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 131/26 धारा 331(4)/305//317(2) बीएनएस थाना गिरवां जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री सुरेश कुमार सैनी प्र0नि0 थाना गिरवां
2. उ0नि0 श्री बुद्धीसागर
3. उ0नि0 श्री मणिशंकर मिश्रा
4. कां0 संदीप कुमार